[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 50 /2020 - सीमाशुल्क (गै.टै.)

नयी दिल्ली, दिनांक 5 जून, 2020

सा.का.नि. ________(अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 की उप-धारा (34) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित सीमाशुल्क अधिकारियों की, उनकी ऐसी नियुक्ति भारत में कहीं भी हो जहां कि उनको कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत बिल ऑफ एंट्री सौंपी जाती हो, जिनकी तैनाती भारत के किसी भी सीमाशुल्क स्टेशन में हुई हो, को उक्त अधिनियम की धारा 46 या धारा 68 के अंतर्गत इलेक्ट्रोनिक रूप से प्रस्तुत किए गए बिल ऑफ एंट्री के संबंध में उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए, यथोचित अधिकारी के रूप मे नियुक्त करता है, यथा:-

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी का पदनाम	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत कार्य
(1)	(2)	(3)
1.	(i) अधीक्षक सीमाशुल्क, जीएसटी & सेंट्रल एक्साइज़ या एप्रेजर,	(क) धारा (17) की उप- धारा (2), (3), और (4) के अंतर्गत;
2.	(i) उपायुक्त सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त सीमाशुल्क	(क) धारा (17) की उप- धारा (5) के अंतर्गत; (ख) धारा 18.

[फा. स. 450/26/2019 - सीमाशुल्क IV (पार्ट)]

(राधाकृष्णन आनंद)

उप सचिव (सीमाशुल्क)